प्रेस नोट *29/08/2024*

मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी शातिर अपराधी अफजल अहमद द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने व अपनी पत्नी के नाम से खरीदी गयी अचल संपत्ति (लगभग 02 करोड़ 75 लाख रुपये कीमती) को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत किया गया कुर्क-

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी शातिर अभियुक्त अफजल अहमद पुत्र इरफान अहमद निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 258/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने नाम से मौजा सहादतपुरा तहसील सदर में जमीन अराजी नं0 109 रकबा 340.2 वर्गमीटर जिसकी अनुमानित कीमत 02 करोड़ 04 लाख 12 हजार व अपनी पत्नी नेहा अमान के नाम से अराजी सं0 109 रकबा 113.4 वर्गमीटर जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख 87 हजार 500 रुपये है, क्रय किया गया है।

अभियुक्त अफजल अहमद एवं उसकी पत्नी नेहा अमान के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे उक्त बेशकीमती भूखण्ड को क्रय किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 17.08.2024 को उक्त भूखण्ड को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 24.08.2024 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 29.08.2024 को थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त भूखण्ड को कुर्क किया गया।

मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) के निकट सहयोगी हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी शाहिद लारी (06 माह) व भोला चौरसिया (03 माह) को किया गया जिलाबदर–

अपराधअपराधियों पर प्रभावी अंकुश बनाये रखने के दृष्टिगत/ पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) के निकट सहयोगी हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी निम्नलिखित 02 अपराधियों को जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के क्रम में जनपद से निष्कासित किया गया है–

1. शाहिद लारी पुक्ष जावेद इकबाल लारी निवासी क्यारीटोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ। (06 माह)।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 225/2018 धारा 147/148/149/332/353/336/307/308/153ए/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 590/2019 धारा 147/148/186/188/189/341/353/504/506/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 1021/2016 धारा 147/148/149/323/427/504/506 भादवि

4. मु0अ0सं0 247/2019 धारा 120बी, 147, 148, 149, 186, 188, 189, 307, 332, 336, 353, 395, 412, 427, 435, 436, 504, 506 भादवि 7 सीएलए एक्ट व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति श्रति निवारण अधिनियम ।
5. मु0अ0सं0 246/2019 धारा 120बी, 147, 148, 149, 186, 188, 189, 307, 332, 336, 353, 395, 412, 427, 435, 436, 504, 506 भादवि 7 सीएलए एक्ट व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति श्रति निवारण अधिनियम ।
6. मु0अ0सं0 27/2022 धारा 171एच/188 भादवि व 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम।
7. मु0अ0सं0 293/2022 धारा 153ए, 295ए, 505 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

2. भोला चौरसिया पुत्र स्व0 हरिशचन्द्र चौरसिया निवासी नई बस्ती अम्बेडकरनगर भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।(03 माह)।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 112/2022 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 410/2022 धारा 504, 506 भादवि व 3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 341/2011 धारा 294 भादवि थाना कोतवाली नगर मऊ।
4. मु0अ0सं0 935/2015 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली नगर मऊ।
5. मु0अ0सं0 891/10 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

उक्त भोला चौरसिया के विरुद्ध अन्य 12 अभियोग पंजीकृत है।

मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) के निकट सहयोगी हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी अमित ठठेरा व अभय ठठेरा सहित चार सदस्यों (गैंग लीडर के भाई) के विरुद्ध गैंग (डी-134) पंजीकृत–

अपराधअपराधियों पर प्रभावी अंकुश बनाये रखने के दृष्टिगत/ पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.08.2024 को मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) के निकट सहयोगी हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी अमित ठठेरा पुत्र कन्हैया ठठेरा निवासी हरिद्वार कालोनी भीटी हनुमान मंदिर के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ जो कुख्यात किस्म का अपराधी है। मारपीट हत्या का प्रयास करने जैसे जघन्य अपराध अपने आर्थिक भौतिक लाभ के लिए एवंय व अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर करता है। जिसका एक संगठित गिरोह है। इस गैंग में गैंगलीडर अमित ठठेरा सहित चार सदस्य हिस्ट्रीशीटर अभिमन्यु उर्फ मन्नू ठठेरा पुत्र कन्हैया, रोहन उर्फ रोमियो ठठेरा पुत्र कन्हैया, जनपद का टॉप टेन व हिस्ट्रीशीटर अपराधी अभय ठठेरा उर्फ अरविन्द ठठेरा पुत्र कन्हैया ठठेरा निवासीगण हरिद्वार कालोनी भीटी हनुमान मंदिर के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के विरुद्ध जनपद स्तर पर गैंग संख्या डी-134 (अपराधी गैंग) के नाम से सूचीबद्ध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त गैग लीडर अमित ठठेरा के विरुद्ध कुल 08 अभियोग, अभय ठठेरा के विरुद्ध 16 अभियोग अभिमन्यु ठठेरा के विरुद्ध 08 अभियोग व रोहन ठठेरा के विरुद्ध कुल 06 अभियोग पंजीकृत हैं।

पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 29.08.2024 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर काझा मोड के पास से मु0अ0सं0 140/24 धारा 363,366,376,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र मन्नू राम निवासी कमथरी नुरुपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

डी-65 गैंग लीडर, हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी गिरफ्तार कब्जे से एक अदद देशी तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.08.2024 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर आजमगढ़ तिराहा के पास से जनपद के डी-65 गैंगलीडर, हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी गोपाल उर्फ लंगड़ा पुत्र पवारू निवासी खटिक टोला कस्बा दोहरीघाट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 178/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 178/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. डी-65 गैंगलीडर, हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी गोपाल उर्फ लंगड़ा पुत्र पवारू निवासी खटिक टोला कस्बा दोहरीघाट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद अवैध तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अपराधिक इतिहास–

1. उक्त अभियुक्त के खिलाफ कुल 19 अभियोग पंजीकृत है।

एक शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी के पीली/सफेद धातु के आभुषण व मोबाइलफोन बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.08.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सलाहाबाद मोड़ के पास से प्रकाश में आये अभियुक्त मोहम्मद आसिफ पुत्र फैयाज अहमद निवासी रघुनाथपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के कब्जे से रघुनाथपुरा क्षेत्र से चोरी की गयी 02 अदद पायल, 02 अदद पायल घुघरु लगे, 04 अदद बिछिया(सफेद धातु), 04 अदद कान के बाला, 02 अदद कान के टप्स, 01 अदद नाक की नथिया, 03 अदद नाक की कील(पीली धातु) तथा 01 अदद

मोबाइल फोन बरामद कर गिरफ्तर किया गया । जो थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 277/24 धारा 305(क),331,317(2) बीएनएस से संबंधित था। उक्त अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. मोहम्मद आसिफ पुत्र फैयाज अहमद निवासी रघुनाथपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ।

बरामदगी–

1. 02 अदद पायल, 02 अदद पायल घुघरु लगे, 04 अदद बिछिया(सफेद धातु), 04 अदद कान के बाला, 02 अदद कान के टप्स, 01 अदद नाक की नथिया, 03 अदद नाक की कील(पीली धातु)।
2. 01 अदद मोबाइल फोन ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आबकारी अधिनियम मामले में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत न्यायालय ACJM/SD/ जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 29-08-2024 को मु0अ0सं0 564/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त रामजनम पुत्र शम्भू धोबी निवासी लखनौर थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रिया सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आयुद्ध अधिनियम मामले में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त जेल मे बितायी गयी अवधि व ₹2000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत न्यायालय ACJM/SD/ जनपद मऊ द्वारा दिनांक 28-08-2024 को मु0अ0सं0 084/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त मोहम्मद आबिद पुत्र शमसुद्दीन निवासी नाजोपट्टी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल मे बितायी गयी अवधि व ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रिया सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा ।